न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–66 / 2026

GCMS No.- 2026/75

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री बहादुरसिंह चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी जानेवा हाल व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोलंकी होटल के पीछे, बीकानेर रोड़, नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक(अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 04 घरेलू गैस के भरे हुए एवं 04 घरेलू गैस के खाली सिलेण्डरों, 01 इलेक्ट्रीक मोटर, 01 रेग्यूलेटर एवं 01 इलेक्ट्रीक कांटा Make AVEX को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 18.02.2026 को श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोलंकी होटल के पीछे, बीकानेर रोड़ नागौर का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि मौके पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

दुरूपयोग कर वाहनों में गैस भरने का कार्य किया जा रहा है। उक्त प्रतिष्ठान की तलाशी लेने पर मौके पर 04 घरेलू गैस के भरे हुए सिलेण्डर तथा 04 घरेलू गैस के खाली सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रीक मोटर, 01 रेग्यूलेटर एवं 01 इलेक्ट्रीक कांटा Make AVEX पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

इस प्रकार व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये निम्न सिलेण्डर एवं 01 इलेक्ट्रीक मोटर, 01 रेग्यूलेटर एवं 01 इलेक्ट्रीक कांटा Make AVEX को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर ही श्री गणपत पुत्र खेराजराम निवास भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में प्रकरण के निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये है।

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त का वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	BPCL	504345 S	29.6 Kg	15.4 Kg	14.2 Kg
2.	BPCL	030809T	30.0 Kg	15.8 Kg	14.2 Kg
3.	BPCL	007314 E	29.6 Kg	15.4 Kg	14.2 Kg
4.	BPCL	325887 S	15.5 Kg	15.5 Kg	00.0 Kg
5.	BPCL	148164 T	15.7 Kg	15.7 Kg	00.0 Kg
6.	BPCL	249803 S	15.7 Kg	15.7 Kg	00.0 Kg
7.	BPCL	380303 B	15.7 Kg	15.7 Kg	00.0 Kg
8.	BPCL	167259 S	29.8 Kg	15.6 Kg	14.2 Kg

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य जब्तसुदा सामग्री को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अप्रार्थी आज की तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु उनके द्वारा न तो उक्त इस्तगासा का जबाब पेश किया गया एवं न ही उनके द्वारा जब्त सुदा सिलेण्डरों के विधिक दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल बहादुरसिंह स्वयं के हस्ताक्षर है जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायलान की उपस्थिति में की गई है एवं उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश किये है एवं न ही न्यायालय में पेश किये है, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना विधिक अनुमति के घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग/भण्डारण/वाहनों में गैस भरने का अवैध कार्य किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त सुदा उपरोक्त 08 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते है कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जाकर एवं अन्य सामग्री का निलामी के जरिये विक्रय किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावें। इनसे प्राप्त यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर